



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-15072022-237308
CG-UP-E-15072022-237308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3049]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944

No. 3049]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

झाँसी, 14 जुलाई, 2022

का.आ. 3207(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "झाँसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (411 किमी)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य व्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना झांसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए निवाड़ी जिले के निवाड़ी तथा ओरछा तहसील में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ओरछा	कुम्हरा भाटा	20	0.002
2			21	0.002
			योग	0.004
3		कुम्हरा खास	87	0.311
4			88/1	0.125
5			236	0.006
			योग	0.442
	निवाड़ी	बासवान	833	0.079
7			834/1	0.309
8			834/2	0.230
9			849	0.133
10			850	0.024
11			859	0.020
12			860	0.025
13			861	0.049
14			862	0.061
15			863	0.065
16			864	0.020
17			865	0.049
18			866	0.085
19			867	0.175
20			868	0.129
21			833/1094	0.200
22			833/1095	0.062
23			833/1097	0.045
24			833/1098	0.036
			योग	1.796
25		पोहा खास	292	0.046
26			293/1	0.004
27			293/2	0.010

28			294	0.133
29			296	0.072
30			297	0.036
31			298	0.012
32			299/2	0.026
			योग	0.339
33		निवाड़ी खास	1673/8	0.058
34			1674/1	0.030
35			1674/2	0.032
36			1674/3	0.045
37			1674/4	0.128
			योग	0.293
38		बहेरा	245/1	0.004
39			245/2	0.759
40			245/3	0.122
41			492	0.067
42			494	0.001
43			499/1	0.212
44			499/2	0.146
45			499/3	0.017
			योग	1.328

[ई.फा. सं. एन.सीआर.-एच.क्यू.शून्य सी.ई.एन.जी.भूमि/5/2022-ओ.अ.डिप्सीसी.ई.सी-I झांसी
(कम्प्यूटर नं. 60371) दिनांक 12.04.2022]

शरद मेहता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण, प्रयागराज

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Jhansi, the 14th July, 2022

S.O. 3207(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, “Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling Railway Project (411 km)” in the district of Niwari in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub Divisional Officer (Revenue), Niwari, Madhya Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling (411 km) Project Under Orchha and Niwari Tehsil of Niwari District in the state of Madhya Pradesh.

S.No.	Tehsil Name	Village Name	Plot No.	Area (Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Orchha	Kumharra Bhata	20	0.002
2			21	0.002
			Total	0.004
3		Kumharra Khas	87	0.311
4			88/1	0.125
5			236	0.006
			Total	0.442
6	Niwari	Baswan	833	0.0079
7			834/1	0.309
8			834/2	0.230
9			849	0.133
10			850	0.024
11			859	0.020
12			860	0.025
13			861	0.049
14			862	0.061
15			863	0.065
16			864	0.020
17			865	0.049
18			866	0.085
19			867	0.175
20			868	0.129
21			833/1094	0.200
22			833/1095	0.062
23			833/1097	0.045
24			833/1098	0.036
			Total	1.796
25		Poha Khas	292	0.046
26			293/1	0.004
27			293/2	0.010
28			294	0.133
29			296	0.072
30			297	0.036
31			298	0.012
32			299/2	0.026
			Total	0.339

33	Niwari	Niwari Khas	1673/8	0.058
34			1674/1	0.030
35			1674/2	0.032
36			1674/3	0.045
37			1674/4	0.128
			Total	0.293
38		Bahera	245/1	0.004
39			245/2	0.759
40			245/3	0.122
41			492	0.067
42			494	0.001
43			499/1	0.0212
44			499/2	0.146
45			499/3	0.017
			Total	1.328

[e-F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/5/2022-O/o DY.CE/C-I/JHS(Computer No.60371) dated 12.04.2022]

SHARAD MEHTA, Chief Administrative Officer (Construction), Prayagraj